सं. संख्या– टी 3 योजना–35/2021 (खंड 1)– 889

बिहार सरकार

युवा,रोजगार एवं कौशल विकास विभाग

निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण, नियोजन भवन, बेली रोड, पटना।

प्रेषक,

उप सचिव,
युवा,रोजगार एवं कौशल विकास विभाग

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक– 19.05.2026

विषय– युवा,रोजगार एवं कौशल विकास विभाग के निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष) के राज्य स्कीम मशीनों का आधुनिकीकरण सात निश्चय–2 का वित्तीय वर्ष 2026–27 से अवधि विस्तार एवं कुल रूपये–3500.00 लाख (पैतीस करोड़) मात्र की राशि के व्यय की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को विकसित कर शिक्षित युवक एवं युवतियों को विश्वस्तरीय तकनीशियन एवं कामगार बनाने के उद्देश्य से औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को उच्च स्तरीय केन्द्र (Centre of Excellence) के रूप में स्थापित किये जाने हेतु मशीनों का आधुनिकीकरण सात निश्चय–2 स्कीम का वित्तीय वर्ष 2026–27 में अवधि विस्तार एवं कुल रूपये–3500.00 लाख (पैतीस करोड़) मात्र की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. राज्य स्कीम के अन्तर्गत संबंधित संस्थानों/कार्यालयों से प्रस्ताव प्राप्त होने पर ही आवंटन की स्वीकृति विभाग/सक्षम प्राधिकार द्वारा किया जाएगा तथा इस राशि का आवंटन निदेशक, नियोजन एव प्रशिक्षण, बिहार, पटना द्वारा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों कें मांग पत्र के आधार पर आवश्यकतानुसार किया जाएगा।

3. स्वीकृत राशि का व्यय मांग सं0–53, मुख्य शीर्ष–4202 शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष–02 तकनीकी शिक्षा, लघु शीर्ष–104 बहुशिल्प, उपशीर्ष–0113 मशीनों का आधुनिकीकरण–सात निश्चय–2, विपत्र कोड–53–4202021040113 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2026–27 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

4. इस स्कीम हेतु उदव्यय एवं बजट उपबंध वित्तीय वर्ष 2026–27 में उपलब्ध है।

5. यह चालू योजना है।

6. इस स्कीम के नियंत्री पदाधिकारी निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना होंगे तथा निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष) के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/औद्योगिक प्रशिक्षण संसथानों के प्राचार्य/प्रभारी प्राचार्य निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे।

7. प्रस्ताव में विभागीय मंत्री का अनुमोदन संचिका संख्या–टी 3/ योजना–35/2021 (खंड 1) के पृष्ठ 32/टि०, विभागीय सचिव का अनुमोदन, संचिका संख्या–टी 3/ योजना–35/2021 (खंड 1) के पृष्ठ–32/टि० एवं प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है संचिका संख्या–टी 3/ योजना–35/2021 (खंड 1) के पृष्ठ 29/टि० पर प्राप्त है।

विश्वासभाजन
S. Dayal 18/5/26
(शंकर दयाल)
उप सचिव
युवा,रोजगार एवं कौशल
विकास विभाग

ज्ञापांक– टी 3/योजना–35/2021 (खंड 1)– 889 पटना, दिनांक–19.05.26

प्रतिलिपिः– योजना एवं विकास विभाग (दो प्रति में)/वित्त विभाग (दो प्रति में)/सचिव के आप्त सचिव, युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग/आईटी मैनेजर, युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग/योजना, बजट एवं क्रय शाखा, निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

S. Dayal 18/5/26
उप सचिव
युवा,रोजगार एवं कौशल
विकास विभाग

ज्ञापांक– टी 3/योजना–35/2021 (खंड 1)– 889 पटना, दिनांक–19.05.26

प्रतिलिपिः– सभी जिला पदाधिकारी/सभी कोषागार पदाधिकारी/सभी प्राचार्य/प्रभारी प्राचार्य को सूचनार्थ एवं आवश्यक प्रेषित।

S. Dayal 18/5/26
उप सचिव
युवा,रोजगार एवं कौशल
विकास विभाग